परिपत्र संख्या 10/2025

एफ. संख्या 225/30/2025/आईटीए-II
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड
*****

नॉर्थ ब्लॉक, 28 जुलाई, 2025

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के अंतर्गत आदेश

विषय: इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की गई आयकर विवरणी, जिन्हें सीपीसी द्वारा गलत तरीके से अमान्य कर दिया गया था, के प्रसंस्करण हेतु समय-सीमा में छूट - के संबंध में

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ('बोर्ड') के संज्ञान में लाया गया है कि सीपीसी बेंगलुरु (सीपीसी) को विभिन्न कर निर्धारण वर्षों के लिए इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की गई विवरणी को संसाधित करते समय, विभिन्न तकनीकी कारणों से गलत अमान्यकरण के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इन विवरणी को संसाधित करने की समय सीमा समाप्त हो गई है, जो निर्धारण वर्ष 2023-24 के लिए नवीनतम दिनांक 31.12.2024 है। इसलिए, इन विवरणियों को कानून के अनुसार मान्य और संसाधित करने की आवश्यकता है।

2. बोर्ड द्वारा इस मामले पर विचार किया गया है और अधिनियम की धारा 119 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 (अधिनियम) की धारा 143 की उप-धारा (ठ) के दूसरे प्रावधान में निर्धारित समय सीमा में छूट देने का निर्णय लिया गया है। बोर्ड इसके द्वारा यह निर्देश देता है **कि 31.03.2024 तक इलेक्ट्रॉनिक रूप से दाखिल की गई आयकर विवरणी, जिन्हें सीपीसी द्वारा गलती से अमान्य कर दिया गया है,** अब संसाधित की जाएंगी। इस तरह की विवरणी के प्रसंस्करण के संबंध में अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (1) के तहत सूचना संबंधित करदाताओं को 31.03.2026 तक भेजी जाएगी।

3. अधिनियम के तहत बाद के सभी अनुवर्ती प्रभाव, जिनमें लागू ब्याज़ के साथ धनवापसी जारी करना शामिल है, इन मामलों में भी लागू होंगे। उन मामलों में जहां पैन-आधार लिंकेज नहीं पाया जाता है, अधिनियम के प्रावधानों के तहत देय कर की किसी भी राशि या उसके हिस्से की वापसी नहीं की जाएगी, जैसा कि परिपत्र संख्या 03/2023 दिनांक 28.03.2023 एफ.सं. 370142/14/2022-टीपीएल में निर्धारित किया गया है।

4. आवश्यक अनुपालन हेतु इस सूचना को सभी के संज्ञान में लाया जाए।

(डॉ. कास्त्रो जयप्रकाश टी)
अवर सचिव, भारत सरकार

इन्हे सूचनाार्थ प्रति भेजें:

i. अध्यक्ष (सीबीडीटी) और सीबीडीटी के सभी सदस्य
ii. सभी प्रधान सीसीएसआईटी / डीएसजीआईटी
iii. डीजीआईटी (पद्धति), दिल्ली और डीजीआईटी (पद्धति), बेंगलुरु को इस मामले में आगे आवश्यक कार्रवाई के अनुरोध के साथ
iv. प्रधान महानिदेशक आयकर, प्रशासन एवं करदाता सेवाएँ निदेशालय
v. एडीजी (सिस्टम)-4, अनुरोध के साथ कि इसे विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड किया जाए
vi. आयुक्त (मीडिया एवं स्थानांतरण मूल्य निर्धारण), केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)
vii. जेसीआईटी, डेटाबेस सेल - आईआरएस अधिकारियों की वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए
viii. रक्षा फ़ाइल

(डॉ. कास्त्रो जयप्रकाश टी)
अवर सचिव, भारत सरकार